प्रकाशनार्थ / प्रसारणार्थ

प्लास्टिक पैकेजिंग करने वाली 400 कम्पनियों को नोटिस– उपमुख्यमंत्री

पटना 20.08.2019

कचरा प्रबंधन रुल्स, 2016 पर आयोजित दो दिवसीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग करने वाली 400 से ज्यादा कम्पनियों को नोटिस देकर बिक्री स्थल से प्लास्टिक कचरा संग्रह करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाली कम्पनियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप अगामी 02 अक्तूबर से 'प्लास्टिक मुक्त भारत' बनाने की दिशा में बिहार में भी सिंगल यूज प्लास्टिक और शादी समारोह व अन्य मौके पर उपयोग होने वाले थर्मोकोल से बने कप,प्लेट, चम्मच, थाली, गिलास आदि सभी सामानों को प्रतिबंधित करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जायेगा। इस बाबत 600 लोगों ने अपना सुझाव दिया है जिनमें प्लास्टिक उत्पाद निर्माताओं व बिक्रेताओं के 236 सुझाव हैं।

इसी महीने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आहुत एक बैठक के बाद कोकाकोला व पटना नगर निगम के बीच प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रबंधन के लिए एक समझौता हुआ है। कोकाकोला अपनी उपयोग की गई बोतलों को संग्रह कर शीघ्र ही पटना के गर्दनीबाग में उसके प्रबंधन के लिए प्लांट स्थापित करेगी। इसके साथ ही सुधा डेयरी को भी दूध के पाउच को संग्रह कर उसका प्रबंधन करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कह कि जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभावों से मुकाबला और जल, वायु प्रदूषण से मुक्ति के लिए कचरा प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है। जनजागृति के द्वारा ही इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध पूरे देश में एक साथ लागू कर तथा इसके निर्माण को ही रोक कर सफल किया जा सकता है। लोगों को अपनी आदत में बदलाव लाने की जरूरत है। जनसहभागिता व जागरूकता से ही इस आंदोलन को सफल किया जायेगा।